न्यायालय : न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, देपालपुर, जिला इंदौर (म.प्र.)
समक्ष : सय्यद दानिश अली

निर्णय की तारीख : **17.10.2024**

प्रकरण संख्या : **176/2020**

Registration NoRCT/ 176/2020
Filing No.RCT/561/2020
CNR No. MP09070005882020
Registration Date 26-08-2020

(प्र.सू.रि./अपराध और पुलिस थाने का विवरण)

परिवादी	मध्य प्रदेश राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी केन्द्र बेटमा, जिला इंदौर म0प्र0
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री संजय जाटव (ए.डी.पी.ओ.)
अभियुक्त	नितेश कलोता पिता बद्रीलाल उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मुरखेडा थाना देपालपुर जिला इंदौर म0प्र0।
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री अब्दुल गफ्फार खान, अधिवक्ता

अपराध की तारीख	09.03.2020
प्र.सू.रि. की तारीख	13.03.2020
आरोप–पत्र की तारीख	26.08.2020
आरोपों के विरचना की तारीख	18.05.2020
साक्ष्य प्रारंभ किये जाने की तारीख	18.08.2022
निर्णय सुरक्षित किए जाने की तारीख	17.10.2024
निर्णय की तारीख	17.10.2024
दंडादेश, यदि कोई हो, की तारीख	––

अभियुक्त का विवरण

अभियुक्त की श्रेणी	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तारीख	जमानत पर रिहा किये जाने की तारीख	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्धि	अधिरोपित दंडादेश	धारा 428 द.प्र.सं. के प्रयोजनार्थ विचारण के दौरान भोगी गई निरोध की अवधि
1.	नितेश कलौता पिता बद्रीलाल उम्र 35 वर्ष	धारा 41–क दप्रसं के अंतर्गत जारी नोटिस के पालन में दिनांक 26.08.2020 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित।	दिनांक 26.08.2020	धारा 279 व 338 भादंस	दोषमुक्ति	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन साक्षियों की सूची

क. अभियोजन

श्रेणी	**नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति** (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
अ.सा.1	कैलाश	फरियादी/आहत
अ.सा.2	सुखदेव	आहत

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई हो :–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.1	कुछ नहीं	कुछ नहीं

अभियोजन/प्रतिरक्षा/न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजन :

सं. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श पी.1/अ.सा.1	प्रथम सूचना रिपोर्ट
2	प्रदर्श पी.2/अ.सा.1	नक्शामौका पंचनामा
3	प्रदर्श पी.3/अ.सा.1	पुलिस कथन
4	प्रदर्श पी.4/अ.सा.2	पुलिस कथन

ख. प्रतिरक्षा :

सं. कं.	प्रदर्श संख्या	विवरण
1	प्रदर्श डी.1/ब.सा.1	कुछ नहीं

पुलिस थाना बेटमा, देपालपुर जिला इंदौर के अपराध कमांक 136/2020 अंतर्गत धारा 279 व 338 भा0दं0सं0 से उद्भूत।

:: नि र्ण य ::
(आज दिनांक 17.10.2024 को पारित किया गया)

1. अभियुक्त के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 279 व 338 भा.द.स के अंतर्गत यह आरोप है कि उसने दिनांक 09.03.2020 को समय 08:30 बजे स्थान सागौर रोड कालीबिल्लौद अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकमार्ग है, पर वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.–09–क्यू.एम.–4693 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया एवं सुखदेव को टक्कर मारकर उसे अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2. अभियोजन का मामला इस प्रकार है कि अभियोगी कैलाश ने इस आशय की रिपोर्ट की है कि वह दिनांक 09.03.2020 को समय 08:30 बजे की है। घ ाटना वाले दिन वह उसकी मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 09 एलजी 3199 पर उसके भानेज सुखदेव को पीछे बैठाकर सागौर से हरनासा आ रहा था, जैसे ही वह कालीबिल्लौद सागौर रोड पर पहुंचा तो सामने से एक मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 09 क्यूएम 4693 का चालक अपनी मोटर सायकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उसकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी, टक्कर लगने से सुखदेव को बाये पैर में चोट आयी तथा सुखदेव का ईलाज युनिक अस्पताल इंदौर में भर्ती करवाया।

3. आगे अभियोजन प्रकरण यह है कि विवेचना दौरान अभियोगी की निशान देही पर घटनास्थल का नक्शा मौका बनाया गया। आहत सुखदेव का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन उनके बताये अनुसार लेख किये गये। अभियुक्त से मोटर सायकिल क्रमांक एमपी 09 क्यूएम 4693 जब्त

कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। अभियुक्त को धारा 41–क दप्रसं. के नोटिस पर छोडा गया। जब्तशुदा वाहन के स्वामी को सूचना पत्र देकर घटना दिनांक को उसके स्वामित्व का वाहन किसके द्वारा चलाया जा रहा था, के संबंध में जानकारी प्राप्त की गयी। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियुक्त ने न्यायालय द्वारा आरोपित अपराध को अस्वीकार करते हुये विचारण चाहा।

5. मामले में अभियोगी/आहत कैलाश व सुखदेव द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के आधार पर अभियुक्त को धारा 338 भादसं के आरोप से दोषमुक्त किया गया है।

6. *प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि–*

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 09.03.2020 को समय 08:30 बजे स्थान सागौर रोड कालीबिल्लौद अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकमार्ग है, पर वाहन मोटर सायकिल क्रमांक एम.पी.–09 क्यू.एम.–4693 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

//निष्कर्ष के आधार//

7. मामले में अभियोजन की ओर से अभियोगी/आहत कैलाश अ.सा. 01 व सुखदेव अ.सा. 02 का परीक्षण न्यायालय के समक्ष कराया गया है। अभियोगी/आहत कैलाश अ.सा. 01 व सुखदेव अ.सा. 02 के अनुसार घटना दिनांक 09.03.2020 दिन के 08:30 बजे कालीबिल्लौद सागौर रोड की है। घटना दिनांक को वह ग्राम हरनासा जा रहे थे, जैसे ही वह कालीबिल्लौद पहुंचे तो उसकी मोटर सायकिल के चालक ने उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी थी, जिससे

उसे सुखदेव को बाये पैर में चोट आयी थी। साक्षी से सूचक प्रश्न पूछने पर उसने इस सुझाव को अस्वीकार किया है कि अभियुक्त अपनी मोटर सायकिल कमांक एमपी 09 क्यूएम 4693 को तेजी व लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और उनकी मोटर सायकिल में टक्कर मार दी। साक्षी के अनुसार पुलिस ने उसके समक्ष घटना स्थल का नक्शामौका तैयार किया था। अभियुक्त नितेश द्वारा वाहन कमांक एमपी 09 क्यूएम 4693 लोक मार्ग पर उप

8. `क्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं आयी है। साक्षी से अभियोजन द्वारा सुचक प्रश्न पूछने पर भी ऐसा कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं आया है, जिससे अभियोजन के मामले को समर्थन प्राप्त हो सके।

//अंतिम निष्कर्ष//

9. इस प्रकार अभिलेख पर आई उक्त संपूर्ण साक्ष्य एवं मामले की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन यह तथ्य संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 09.03.2020 को समय 08:30 बजे स्थान सागौर रोड कालीबिल्लौद अंतर्गत थाना बेटमा जोकि एक लोकमार्ग है, पर वाहन मोटर सायकिल कमांक एम.पी.–09 क्यू.एम.–4693 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया। अतः **अभियुक्त नितेश कलौता पिता बद्रीलाल कलौता उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम मुरखेडा तहसील देपालपुर जिला इंदौर म0प्र0** को भारतीय दण्ड संहिता की **धारा 279** के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप से **दोषमुक्त कर स्वतंत्र** किया जाता है।

10. अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत जमानत व मुचलके उन्मोचित किये जाते हैं।

11. मामले में धारा 428 दप्रस के अंतर्गत पृथक से इस संबंध में प्रमाण पत्र तैयार किया जाये, जो निर्णय का भाग होगा।

12. मामले में जब्तशुदा वाहन उसके पंजीकृत स्वामी को अंतरिम सुपुर्दगी पर प्रदान किया गया है, अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में सपुर्दगीनामा की शर्ते निरस्त समझी जायें। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(सय्यद दानिश अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, इंदौर (मध्यप्रदेश)

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(सय्यद दानिश अली)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देपालपुर, इंदौर (मध्यप्रदेश)